[illegible]
[illegible]
मुकदमा नं. 64 / 2018

5.05.2018

पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना से क्षेत्राधिकार के आधार पर स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर आज न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प खटकड़ में पेश हुई। [illegible] पक्षकारान् ने उपस्थित होकर राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। पक्षकारान के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस न. 1 के बीच पूर्व में दिनांक 24.04.2008 को राजीनामा होकर राजीनामा तस्दीक हो चूका है। जिसमें पक्षकारान् के द्वारा ग्राम पंचायत खटकड़ द्वारा दिनांक 05.11.2004 को तस्दीक नामान्तकरण संख्या 370 को अपास्त किया जाकर अपीलान्ट के द्वारा खरीदी गई 0.55 हैक्टर भूमि के बजाय अपीलान्ट के नाम 0.78 हैक्टर भूमि का नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट के नाम सहवन से दर्ज 11/45 हिस्से के बजाय 0.55 हैक्टर भूमि व रेस्पोडेन्टस न. 1 के नाम 0.23 हैक्टर भूमि दर्ज करने बाबत बरूये राजीनामा सहमति हो चूकी है।

अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत खटकड़ से स्वीकृत नामान्तरण संख्या 370 दिनांक 05.11.2004 के द्वारा हिस्सा 11/45 दर्ज करवा लिया है जो कानूनी रूप से गलत है। उक्त नामान्तकरण संख्या 370 को अपीलान्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि 0.55 हैक्टर को छोड़कर रेस्पोडेण्ट के हिस्से की भूमि 0.23 हैक्टर तक अपास्त किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में लोक अदालत की भावना से दर्ज किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प

Scanned by CamScanner

श्रीमती गूली देवी बनाम् शिम्भू वगै०
अपील नामान्तकरण
मुकदमा नं0:— 04 /2018

खटकड़ में लोक अदालत की भावना से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत खटकड़ पंचायत समिति नीमकाथाना जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 370 दिनांक 05.11.2004 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 761 रकबा 3.19 हैक्टर में अपीलान्ट के नाम दर्ज 11/45 हिस्से की बजाय क्रयशुदा भूमि 0.55 हैक्टर व रेस्पोडेण्ट के हिस्से की 0.23 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान—2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प खटकड़ के मजमे—ए—आम में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः—खटकड़

Scanned by CamScanner